

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:—प.1(92)नविवि / जयपुर / 2024

जयपुर, दिनांक:

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के जोन-14 में टोंक रोड पर राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चन्दलाई व बरखेड़ा की 163.5 हैक्टेयर भूमि पर तैयार की गई TPS योजना की क्रियान्विति यथा: भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं मुआवजा की गणना आदि के कार्य हेतु RPLS Rule, 2016 की धारा 21 (1) के तहत पर RPLS Rule, 2020 के नियम 12(1) पर उल्लेखित योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए जविप्रा के जोन उपायुक्त-14 के स्थान पर जविप्रा के अतिरिक्त आयुक्त (Land Acquisition Officer) को Land pooling Officer नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि. /मा.प्लान/2024/डी-456 दिनांक 21.10.2024 एवं दिनांक 25.11.2024 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- निदेशक, आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- अतिरिक्त आयुक्त, भूमि अवाप्ति कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम